बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– NHM/BHDS/112/2024-पी०पी०एम०-66- /पटना दिनांक: 18/06/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक कुल तीन वर्षो के लिए फल विकास योजना हेतु कुल 1465.60000 लाख (चौदह करोड़ पैंसठ लाख साठ हजार) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 365.12 लाख (तीन करोड़ पैसठ लाख बारह हजार) रूपये स्वीकृत के अधीन 307.05094 लाख (तीन करोड़ सात लाख पाँच हजार चौरानवे) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक कुल तीन वर्षो के लिए फल विकास योजना हेतु कुल 1465.60000 लाख (चौदह करोड़ पैंसठ लाख साठ हजार) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 365.12 लाख (तीन करोड़ पैसठ लाख बारह हजार) रूपये स्वीकृत के अधीन 307.05094 लाख (तीन करोड़ सात लाख पाँच हजार चौरानवे) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/112/2024- पी०पी०एम०–49 दिनांक–30.03.2024 द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 1465.60000 लाख (चौदह करोड़ पैसठ लाख साठ हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत 365.12 (तीन करोड़ पैसठ लाख बारह हजार) रूपये के अधीन केन्द्रांश 147.38445 लाख (एक करोड़ सैतालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ पैतालीस), राज्यांश 98.25630 लाख (अट्ठानवे लाख पच्चीस हजार छः सौ तीस) रूपये एवं अतिरिक्त टॉप–अप 61.41019 लाख (इकसठ लाख इकतालीस हजार उन्नीस) रूपये कुल 307.05094 लाख (तीन करोड़ सात लाख पाँच हजार चौरानवे) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 अनुरूप कुल लागत 307.05094 लाख (तीन करोड़ सात लाख पाँच हजार चौरानबे) रूपये मात्र की है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए स्वीकृत फल विकास योजना का अनुसूची–2 के अनुसार टिश्यू कल्चर केला के बाग का 1st Year Maintenance का योजना राज्य के 23 जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया,

किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में तथा लीची के बाग का 1st Year Maintenance का योजना राज्य के पाँच जिलों यथा– भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं वैशाली में संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

5. योजना अन्तर्गत स्वीकृत घटकवार विवरण निम्नवत है :–

   I. **टिश्यू कल्चर केला के एक वर्ष के बागों का रख–रखाव (1st Year Maintenance):–** वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाये गये टिश्यू कल्चर केला के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में कुल सहायतानुदान 0.625 लाख (बासठ हजार पाँच सौ) रूपये का 25 प्रतिशत अर्थात 0.15625 लाख (पन्द्रह हजार छः सौ पच्चीस) रूपये प्रति हे० का भुगतान 75% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संबंधित बाग का Geo Tag फोटो तथा पुर्णतया संतुष्ट होने पर संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

   II. **लीची के एक वर्ष के बागों का रख–रखाव (1st Year Maintenance):–** वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाये गये लीची के बाग के रख–रखाव हेतु 1st Year Maintenance के रूप में कुल सहायतानुदान 0.50 लाख (पचास हजार) रूपये का 20 प्रतिशत अर्थात 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रति हे० का भुगतान 75% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संबंधित बाग का Geo Tag फोटो तथा पुर्णतया संतुष्ट होने पर संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

6. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 04.04.2025 को अनुमोदित है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की कार्य योजना दिनांक 28.04.2025 को आयोजित SLSC की बैठक से अनुमोदित है।
7. प्रस्तावित योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 होगा।
8. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति के पश्चात् ही राज्यांश एवं अतिरिक्त टॉप–अप की राशि का आवंटन एवं निकासी की जायेगी।
9. इस योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय के पत्रांक–2420 दिनांक 18.07.2024 से निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।
10. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में 83.903 : 15.00 : 1.097 एवं राज्य योजना (टॉप–अप) का कोटिवार बजट उपबंध 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार राशि है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा। साथ ही सभी श्रेणी के लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
12. उद्यान निदेशालय के पत्र संख्या 427 दिनांक 17.04.2025 द्वारा विषय शीर्ष परिवर्तन करने हेतु उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। विषय शीर्ष के परिवर्तन उपरान्त राज्य योजना मद से आवंटित राशि की निकासी की जायेगी।
13. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी

के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक निदेशक उद्यान हैं।

14. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान होंगे। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि, समानुपातिक राज्यांश की राशि तथा अतिरिक्त टॉप–अप (राज्य योजना) की राशि निदेशक, उद्यान –सह– मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के SNA SPARSH में संधारित की जायेगी। निदेशक, उद्यान –सह– मिशन निदेशक द्वारा केन्द्रांश, समानुपातिक राज्यांश तथा अतिरिक्त टॉप–अप (राज्य योजना) की राशि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप SNA SPARSH के माध्यम से जिलावार अनुसूची–3 के अनुरूप संबंधित सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारिंयों को आवंटित किया जायेगा।
15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।
16. राशि व्यय के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं ह०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
17. योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
18. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।
19. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	4363.14	123.65996
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड–4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	780.00	22.10766
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	57.06	1.61683
योग	**5200.20**	**147.38445**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0324–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	742.01	82.43999
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890335, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0335–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	520.00	14.73845
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या 01, उपशीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960357, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0357–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	38.04	1.07786
योग	**1300.05**	**98.25630**

अतिरिक्त टॉप–अप राज्य योजना मद से		
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी।	19084.491	48.22972
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी।	4860.00	12.28203
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी।	355.509	0.89844
योग	**24300.000**	**61.41019**
कुल योग	**30800.250**	**307.05094**

नोट :– उपरोक्त राज्यांश मद संबंधित बजट शीर्ष के सामान्य श्रेणी में राशि उपलब्ध नहीं है। राज्यांश मद के सामान्य श्रेणी में राशि का प्रथम/अगले अनुपूरक आगमन में बजट उपबंध प्राप्ति पश्चात् ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

उद्यान निदेशालय के पत्रांक–427 दिनांक–17.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

20. स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/112/2024- पी०पी०एम०–49 दिनांक–30.03.2024 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।
21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/112/2024 के पृ0सं0–65/टि0 पर दिनांक–14.06.2025 को प्राप्त है।
22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/112/2024 के पृष्ठ संख्या–67/टि० दिनांक–17.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–447 दिनांक–17.06.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024–पी०पी०एम०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18/06/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024–पी०पी०एम०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18/06/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\MIDH FAL VIKASH YOJANA\Fal Vikas Yojna 307.05094 - Revise.doc

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024– प्रो०नि०एस०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18 / 06 /2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024– प्रो०नि०एस०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18 / 06 /2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024– प्रो०नि०एस०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18 / 06 /2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/112/2024– प्रो०नि०एस०-66- /कृ०, पटना, दिनांक 18 / 06 /2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत फल विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 तक तीन वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत/हे०	सहायता अनुदान का प्रतिशत			अनुदान की राशि/हे०	वित्तीय वर्ष 2025–26 में देय अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य 2025–26 में देय कुल अनुदान एवं मिशन प्रबंधन की राशि			
			केन्द्रांश + राज्यांश	अतिरिक्त टॉप अप	कुल				केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त टॉप–अप	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 2024–25 में लगाए गये टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) के बाग का 1st Year Maintenance	1.25	40%	10%	50%	0.625	अनुदान की राशि का 25% (0.15625)	1,935.43	145.15725	96.77150	60.48219	302.41094
2	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 2024–25 में लगाए गये उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) के बाग का 1st Year Maintenance	1.00	40%	10%	50%	0.50	अनुदान की राशि का 20% (0.10000)	46.40	2.22720	1.48480	0.92800	4.64000
योग								1,981.83	147.38445	98.25630	61.41019	307.05094

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाए गए केला (टी.सी) (गैर समेकित) एवं उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) के बाग का 1st Year Maintenance का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य	टिश्यू कल्चर केला (गैर समेकित) का वित्तीय लक्ष्य (@0.15625 लाख/हे०)				भौतिक लक्ष्य	उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) का वित्तीय लक्ष्य @0.10000 लाख/हे०				कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य			
			केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त टॉप–अप	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त टॉप–अप	कुल राशि		केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त टॉप–अप	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अररिया	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500	-	-	-	-	-	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500
2	औरंगाबाद	33.00	2.47500	1.65000	1.03125	5.15625	-	-	-	-	-	33.00	2.47500	1.65000	1.03125	5.15625
3	बाँका	13.80	1.03500	0.69000	0.43125	2.15625	-	-	-	-	-	13.80	1.03500	0.69000	0.43125	2.15625
4	बेगुसराय	80.86	6.06450	4.04300	2.52688	12.63438	-	-	-	-	-	80.86	6.06450	4.04300	2.52688	12.63438
5	भागलपुर	86.58	6.49350	4.32900	2.70563	13.52813	5.00	0.24000	0.16000	0.10000	0.50000	91.58	6.73350	4.48900	2.80563	14.02813
6	दरभंगा	15.01	1.12575	0.75050	0.46906	2.34531	-	-	-	-	-	15.01	1.12575	0.75050	0.46906	2.34531
7	गया	17.84	1.33800	0.89200	0.55750	2.78750	-	-	-	-	-	17.84	1.33800	0.89200	0.55750	2.78750
8	जमुई	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500	-	-	-	-	-	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500
9	कटिहार	269.16	20.18700	13.45800	8.41125	42.05625	-	-	-	-	-	269.16	20.18700	13.45800	8.41125	42.05625
10	खगड़िया	115.00	8.62500	5.75000	3.59375	17.96875	-	-	-	-	-	115.00	8.62500	5.75000	3.59375	17.96875
11	किशनगंज	93.00	6.97500	4.65000	2.90625	14.53125	-	-	-	-	-	93.00	6.97500	4.65000	2.90625	14.53125
12	मधुबनी	33.66	2.52450	1.68300	1.05188	5.25938	-	-	-	-	-	33.66	2.52450	1.68300	1.05188	5.25938
13	मुंगेर	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500	-	-	-	-	-	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500
14	मुजफ्फरपुर	82.21	6.16575	4.11050	2.56906	12.84531	18.80	0.90240	0.60160	0.37600	1.88000	101.01	7.06815	4.71210	2.94506	14.72531
15	नालंदा	38.24	2.86800	1.91200	1.19500	5.97500	-	-	-	-	-	38.24	2.86800	1.91200	1.19500	5.97500
16	पश्चिम चम्पारण	200.00	15.00000	10.00000	6.25000	31.25000	-	-	-	-	-	200.00	15.00000	10.00000	6.25000	31.25000
17	पटना	29.72	2.22900	1.48600	0.92875	4.64375	-	-	-	-	-	29.72	2.22900	1.48600	0.92875	4.64375
18	पूर्वी चम्पारण	165.80	12.43500	8.29000	5.18125	25.90625	13.20	0.63360	0.42240	0.26400	1.32000	179.00	13.06860	8.71240	5.44525	27.22625
19	पूर्णियाँ	355.00	26.62500	17.75000	11.09375	55.46875	-	-	-	-	-	355.00	26.62500	17.75000	11.09375	55.46875
20	रोहतास	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500	-	-	-	-	-	20.00	1.50000	1.00000	0.62500	3.12500
21	सहरसा	39.06	2.92950	1.95300	1.22062	6.10313	-	-	-	-	-	39.06	2.92950	1.95300	1.22062	6.10312
22	समस्तीपुर	97.24	7.29300	4.86200	3.03875	15.19375	5.00	0.24000	0.16000	0.10000	0.50000	102.24	7.53300	5.02200	3.13875	15.69375
23	वैशाली	90.25	6.76875	4.51250	2.82031	14.10156	4.40	0.21120	0.14080	0.08800	0.44000	94.65	6.97995	4.65330	2.90831	14.54156
24	मुख्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**1,935.43**	**145.15725**	**96.77150**	**60.48219**	**302.41094**	**46.40**	**2.22720**	**1.48480**	**0.92800**	**4.64000**	**1,981.83**	**147.38445**	**98.25630**	**61.41019**	**307.05094**

(राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगाए गए केला (टी.सी) (गैर समेकित) एवं उच्च घनत्व वाले लीची (गैर समेकित) के बाग का 1st Year Maintenance का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख रुपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनामजिला का नाम	केन्द्रांश				राज्यांश				अतिरिक्त टॉप–अप				कुल वित्तीय लक्ष्य
		सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	सामान्य वर्ग (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल	सामान्य वर्ग (78.537%)	अनुसूचित जाति (20%)	अनुसूचित जनजाति (1.463%)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	1.25854	0.22500	0.01646	1.50000	0.83903	0.15000	0.01097	1.00000	0.49086	0.12500	0.00914	0.62500	3.12500
2	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	2.07660	0.37125	0.02715	2.47500	1.38440	0.24750	0.01810	1.65000	0.80991	0.20625	0.01509	1.03125	5.15625
3	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	0.86840	0.15525	0.01135	1.03500	0.57893	0.10350	0.00757	0.69000	0.33869	0.08625	0.00631	0.43125	2.15625
4	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	5.08830	0.90967	0.06653	6.06450	3.39220	0.60645	0.04435	4.04300	1.98453	0.50538	0.03697	2.52688	12.63438
5	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	5.64961	1.01002	0.07387	6.73350	3.76641	0.67335	0.04924	4.48900	2.20346	0.56112	0.04105	2.80563	14.02813
6	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	0.94454	0.16886	0.01235	1.12575	0.62969	0.11258	0.00823	0.75050	0.36839	0.09381	0.00686	0.46906	2.34531
7	सहायक निदेशक उद्यान, गया	1.12262	0.20070	0.01468	1.33800	0.74841	0.13380	0.00979	0.89200	0.43784	0.11150	0.00816	0.55750	2.78750
8	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	1.25854	0.22500	0.01646	1.50000	0.83903	0.15000	0.01097	1.00000	0.49086	0.12500	0.00914	0.62500	3.12500
9	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	16.93750	3.02805	0.22145	20.18700	11.29167	2.01870	0.14763	13.45800	6.60594	1.68225	0.12306	8.41125	42.05625
10	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	7.23663	1.29375	0.09462	8.62500	4.82442	0.86250	0.06308	5.75000	2.82242	0.71875	0.05258	3.59375	17.96875
11	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	5.85223	1.04625	0.07652	6.97500	3.90149	0.69750	0.05101	4.65000	2.28248	0.58125	0.04252	2.90625	14.53125
12	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	2.11813	0.37868	0.02769	2.52450	1.41209	0.25245	0.01846	1.68300	0.82611	0.21038	0.01539	1.05188	5.25938
13	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	1.25854	0.22500	0.01646	1.50000	0.83903	0.15000	0.01097	1.00000	0.49086	0.12500	0.00914	0.62500	3.12500
14	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	5.93039	1.06022	0.07754	7.06815	3.95359	0.70682	0.05169	4.71210	2.31296	0.58901	0.04309	2.94506	14.72531
15	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	2.40634	0.43020	0.03146	2.86800	1.60423	0.28680	0.02097	1.91200	0.93852	0.23900	0.01748	1.19500	5.97500
16	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	12.58545	2.25000	0.16455	15.00000	8.39030	1.50000	0.10970	10.00000	4.90856	1.25000	0.09144	6.25000	31.25000
17	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1.87020	0.33435	0.02445	2.22900	1.24680	0.22290	0.01630	1.48600	0.72941	0.18575	0.01359	0.92875	4.64375
18	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	10.96495	1.96029	0.14336	13.06860	7.30996	1.30686	0.09558	8.71240	4.27654	1.08905	0.07966	5.44525	27.22625
19	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	22.33917	3.99375	0.29208	26.62500	14.89278	2.66250	0.19472	17.75000	8.71270	2.21875	0.16230	11.09375	55.46875
20	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1.25854	0.22500	0.01646	1.50000	0.83903	0.15000	0.01097	1.00000	0.49086	0.12500	0.00914	0.62500	3.12500
21	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	2.45794	0.43943	0.03213	2.92950	1.63863	0.29295	0.02142	1.95300	0.95864	0.24412	0.01786	1.22062	6.10312
22	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	6.32041	1.12995	0.08264	7.53300	4.21361	0.75330	0.05509	5.02200	2.46508	0.62775	0.04592	3.13875	15.69375
23	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	5.85639	1.04699	0.07657	6.97995	3.90426	0.69799	0.05105	4.65330	2.28410	0.58166	0.04255	2.90831	14.54156
	कुल	**123.65996**	**22.10766**	**1.61683**	**147.38445**	**82.43999**	**14.73845**	**1.07786**	**98.25630**	**48.22972**	**12.28203**	**0.89844**	**61.41019**	**307.05094**

(राकेश कुमार)